भारत सरकार

रेल मंत्रालय

लोक सभा

11.02.2026 के

अतारांकित प्रश्न सं. 1857 का उत्तर

प्लास्टिक-मुक्त और पर्यावरण-हितैषी रेल

1857. श्री मड्डीला गुरूमूर्ति:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि राष्ट्रव्यापी प्लास्टिक प्रतिबंध और रेलगाड़ियों में कूड़ेदानों की उपलब्धता के बावजूद बड़ी मात्रा में प्लास्टिक अपशिष्ट जैसे बोतलों, खाद्य कंटेनरों और पैकेजिंग सामग्री को रेल पटरियों के किनारे और रेलवे स्टेशनों के पास फेंका जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो रेलगाड़ियों और स्टेशन परिसरों में फेंके गए ऐसे कचरे के उचित संग्रहण, पृथक्करण और पुनर्चक्रण को सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए/उठाए जा रहे कदमों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यात्रियों और विक्रेताओं को पटरियों और खुले क्षेत्रों में प्लास्टिक कचरा फेंकने से रोकने के लिए कोई निगरानी तंत्र/दंड प्रणाली मौजूद है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) रेलवे को प्लास्टिक-मुक्त और पर्यावरण-हितैषी परिवहन नेटवर्क बनाने के लिए भावी योजनाओं का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

रेल, सूचना और प्रसारण एवं इलेक्ट्रोनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री

(श्री अश्विनी वैष्णव)

(क) से (घ): भारतीय रेल द्वारा उपयोगकर्ताओं के अनुभव को बेहतर बनाने हेतु गाड़ियों में और रेलवे स्टेशनों पर खानपान इकाइयों और सवारी डिब्बों में उत्पन्न अपशिष्ट के निपटान सहित उसके प्रभावी प्रबंधन को उच्च प्राथमिकता दी जाती है। इस संबंध में की गई विभिन्न महत्वपूर्ण पहलें इस प्रकार हैं:-

- **रेलगाड़ियों के अंदर एकत्रित अपशिष्ट का निपटान मार्गवर्ती नामित स्टेशनों पर अपशिष्ट निपटान के लिए चिह्नित स्थान पर किया जाता है।**

- ऑन बोर्ड हाउसकीपिंग स्टाफ को कड़े तौर पर निर्देश दिया गया है कि वे रेलपथों पर कचरा नहीं फेंकें और उल्लंघन करने पर कड़ा दण्ड दिया जाता है।
- रेल पटरियों के पास साफ-सफाई बनाए रखने के लिए कचरा उठाया जाता है।
- आवश्यकतानुसार स्टेशनों पर प्लास्टिक बोतल क्रशिंग मशीनें (पीबीसीएम) स्थापित की गई हैं।
- जैव-अपघट्य अपशिष्ट और गैर-अपघट्य अपशिष्ट को स्रोत पर ही पृथक करने के लिए विभिन्न रेलवे स्टेशनों पर दो डिब्बों वाले कूड़ेदानों का प्रावधान किया गया है।
- स्थानीय परिस्थितियों, व्यवहार्यता और आवश्यकता के आधार पर स्थानीय रेलवे प्राधिकारियों और नगर निकायों के बीच अपशिष्ट निपटान के लिए समझौते किए गए हैं।
- भारतीय रेल के अनेक स्थानों पर आवश्यकतानुसार मलजल शोधन संयंत्र (एसटीपी), अपशिष्ट शोधन संयंत्र (ईटीपी), सामग्री पुनर्प्राप्ति सुविधा (एमआरएफ) जैसी अवसंरचनाएं स्थापित और कमीशन की गई हैं।
- भारतीय रेल में यात्रियों को प्रोत्साहित करने के लिए नियमित रूप से जनजागरूकता अभियान चलाए जाते हैं कि वे गाड़ी में मुहैया कराए गए डस्टबिन में ही कचरा डालें।
- मंडल, क्षेत्रीय और मुख्यालय स्तर पर पर्यवेक्षक/वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा नियमित जांच/ औचक जांच की जाती हैं।
- भारतीय रेल में स्वच्छ भारत अभियान स्वच्छता मुहिम/अभियान के तहत नियमित रूप से विशेष स्वच्छता अभियान और आयोजित किए जाते हैं, जिसका उद्देश्य स्वच्छता मानकों में महत्वपूर्ण और स्थायी सुधार करना है।
- यात्री डिब्बों में बायो-टॉयलेट्स स्थापित करके गाड़ियों से मानव अपशिष्ट के सीधे निस्सरण को समाप्त किया गया है। बायो-टॉयलेट्स की व्यवस्था का ब्यौरा निम्नानुसार है:

अवधि	स्थापित बायो-टॉयलट्स की संख्या
2004-14	9,587
2014 से अब तक	3,61,572

******